

# न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केस नं0- 06 / 2019-20

जॉनसन महतो बनाम् रैयान मौजा-सालिम खुटहरी

-: आदेश :-

14.02.2023


वर्तमान प्रक्रिया आवेदक जॉनसन महतो, पे0-सीता राम महतो, मौजा-सालिम खुटहरी, थाना-मेहरमा, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा ने संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-5 के तहत मौजा-सालिम खुटहरी नं0-154 के खास हो जाने के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी का पत्रांक-599/रा0 दिनांक-07.09.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-सालिम खुटहरी नं0-154 एक खास मौजा है। उक्त मौजा के पंजी-11 एवं खतियान में किसी भी ग्राम प्रधान का नाम दर्ज नहीं है।

अतः अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा-सालिम खुटहरी नं0-154 एक खास मौजा होने एवं प्रधानी मौजा नहीं रहने के कारण आवेदक जॉनसन महतो, पे0-सीता राम महतो, मौजा-सालिम खुटहरी, थाना-मेहरमा, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
14.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

  
14.02.23

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Seen  
Dangekumar Singh  
Ad  
25/04/23